भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1952

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

एफडीआई का आगम

1952. श्रीमती मंजू शर्माः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निवेश बढ़ाने तथा और अधिक औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के आगम को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्यों में वाणिज्यिक गतिविधियों की धीमी गति को बढ़ाने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई निर्यात संवर्धन पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने तथा देश में अधिक औद्योगिक कार्यकलाप आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के जरिए, उचित नीतिगत कार्यक्रमों के माध्यम से देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए एक सक्षम ईकोसिस्टम उपलब्ध कराती है। अन्य मंत्रालयों/विभागों की जारी स्कीमों के अलावा, इस विभाग ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने तथा सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना तथा अनुपालन बोझ को कम

करना, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना मॉनीटरिंग समूह (पीएमजी), एफडीआई नीति का उदारीकरण, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) स्कीम आदि। निवेश में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) के रूप में एक व्यवस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। तत्पश्चात, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 12 नए परियोजनाओं प्रस्तावों को अनुमोदित किया है, जिसका अनुमानित निवेश 28,602 करोड़ रुपए है। 10 राज्यों में फैली हुई तथा 6 प्रमुख कॉरिडोरों के साथ रणनीतिक रूप से प्लान की गई ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अलावा, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय कार्यान्वित किए हैं। सरकार ने निवेशक अनुकूल नीति बनाई है, जिसमें रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खुले हैं। 90 प्रतिशत से अधिक एफडीआई अंतर्वाह स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत प्राप्त होता है। भारत एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर, विनियामक बाधाओं को दूर करके, अवसंरचना का विकास करके तथा व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए निरंतर खोल रहा है। उदाहरण के लिए, केंद्रीय बजट 2025 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की क्षेत्रगत सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की घोषणा की गई थी। ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपना समस्त प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी। सरकार नियामक बाधाओं को दूर करके, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, अवसंरचना का विकास करके, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाकर तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ाकर व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके अधिक एफडीआई आकर्षित करने का निरंतर प्रयास करती है।

(घ): भारत का निर्यात ईकोसिस्टम मजबूत बन गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो गया है, जिसे कार्यनीतिक उपायों, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यापक बाजार पहुंच से मजबूती मिली है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने अनेक पहलें की हैं, जिनमें निर्यात को बढ़ाने के लिए स्कीमों के

माध्यम से प्रदान की गई सहायता शामिल है, जैसे निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम। इसके अलावा, सरकार ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम शुरू की है, जिसका उद्देश्य निर्यात किए गए उत्पादों पर विभिन्न अंतर्निहित करों और शुल्कों का रिफंड करना है। आरओडीटीईपी स्कीम के तहत 432 टैरिफ लाइनों की विसंगतियों को दूर किया गया है और दिनांक 16.01.2023 से सही दरों को लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा शुरू की गई 'निर्यात हब के रूप में जिला' पहल ने प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करने, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करने और जिलों में रोजगार सृजन के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं की सहायता की है। हाल ही में सरकार ने 11 सितंबर 2024 को ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी सूचना और मध्यस्थता प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो नए और मौजूदा, दोनों प्रकार के निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करने हेतु विदेश में भारतीय मिशनों और वाणिज्य विभाग तथा अन्य संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाता है। अन्य क्षेत्र-विशिष्ट पहलों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों को सहायता प्रदान करके, सरकार का लक्ष्य न केवल उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, बल्कि रोजगार के अवसर सृजित करना और समग्र आर्थिक विकास में योगदान देना है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के विजन के अनुरूप है।

*****

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1952 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्षेत्र-विशिष्ट पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. भारत सरकार द्वारा 21 जनवरी 2025 को डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन (डीआईए) स्कीम शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के हीरा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। यह स्कीम 25 सेंट (1/4 कैरेट) तक के नेचुरल कट और पॉलिश्ड हीरों के शुल्क-मुक्त आयात के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र प्रदान करती है, जिससे मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। यह स्कीम दिनांक 01.04.2025 से लागू होगी।
2. राज्य और केंद्रीय शुल्कों और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के निर्यात की कुछ श्रम-प्रधान वस्तुओं को बढ़ावा देना है और इसे दिनांक 07.03.2019 से लागू किया गया है।
3. मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में रियायती शुल्क दरों के तहत माल के आयात (आईजीसीआर) स्कीम के तहत चमड़े के परिधानों, चमड़ा उत्पादों और फुटवियर निर्यातकों के लिए वेट ब्लू क्रोम टैन्ड चमड़े और अधिसूचित इनपुट के आयात के लिए आयात शुल्क छूट को अधिसूचित किया। केंद्रीय बजट 2024-25 में उक्त आईजीसीआर स्कीम के तहत अन्य प्रकार के चमड़े जैसे कि वेट व्हाइट लेदर, क्रस्ट लेदर और फिनिश्ड लेदर तथा अन्य इनपुट को अधिसूचित किया गया है।
4. केंद्रीय बजट घोषणा 2025-26 में, छोटे टैनर्स द्वारा किए जाने वाले निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर (खाल और चमड़े) पर निर्यात शुल्क में पूरी छूट (20% से 0%) दी गई है। घरेलू मूल्य संवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में भी पूरी छूट (10% से 0%) दी गई है। सस्ते आयात से भारतीय कंपनियों को लागत-प्रतिस्पर्धी बनने और परिकल्पित निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योग को तैयार करने में मदद मिलेगी।
5. विदेश व्यापार नीति की निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम (ईपीसीजी) के तहत, उत्पादन-पूर्व, उत्पादन के दौरान और उत्पादनोत्तर प्रयोजन से पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट प्रदान की जाती है, जो निर्यात दायित्व को पूरा किए जाने के अध्यधीन है। वास्तविक निर्यात के लिए ईपीसीजी प्राधिकार के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं को आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर से भी छूट प्रदान की जाती है।

*****